



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी  
प्रेस-नोट

दिनांक:-17.03.2025

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त शकील को चोरी के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा 09 माह की सजा व कुल- 04 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-जैतपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 189/2017, धारा- 41, 411, 413 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त शकील पुत्र रमजान निवासी- जे 16/66, नवापुरा थाना जैतपुरा वाराणसी को थाना-जैतपुरा पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 17.03.2025 को मा0 न्यायालय ASJ-05 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा- 411, 413 भादवि में अधिकतम 09 माह के साधारण कारावास व कुल- 04 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अधिकतम 05 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी  
कमिश्नरेट-वाराणसी